जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रवेश नीति एवं कार्यविधि
2019-20

प्रवेश नीति

2019-20

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 (1966 का 53) के अंतर्गत गठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वर्ष 1969 में अस्तित्व में आया। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में यथापरिभाषित विश्वविद्यालय के लक्ष्य निम्नानुसार हैः-

"विश्वविद्यालय ऐसे सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवनकाल में कार्य किया है। इन सिद्धांतों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, पंथनिरपेक्षता, जीवन का लोकतांत्रिक तौर-तरीका, अंतरराष्ट्रीय समझ तथा समाज की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि शामिल हैं।

इस प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालयः

1. भारत की सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा तथा भारतीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति के अध्ययन और विकास के लिए यथा अपेक्षित ऐसे विभागों और संस्थाओं की स्थापना करेगा;
2. पूरे भारत से छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय ज्वाइन करने तथा इसके शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रतिभागिता को सुकर बनाने के लिए विशेष उपाय करेगा;
3. छात्रों और शिक्षकों में देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और समझ की अभिवृद्धि करते हुए उन्हें इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार करेगा;
4. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष व्यवस्था करेगा;
5. विश्वविद्यालय में अन्तर्विषयी अध्ययन की अभिवृद्धि के लिए समुचित उपाय करेगा;
6. छात्रों में अंतरराष्ट्रीय समझ और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने की दृष्टि से ऐसे विभाग या संस्थान स्थापित करेगा जो विदेशी भाषाओं, साहित्य और जीवन के अध्ययन के लिए आवश्यक हों;
7. विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रमों और जीवन में शामिल होने के लिए अन्य देशों के छात्रों और शिक्षकों के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा।"

उपर्युक्त के आलोक में विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण रहा है कि ऐसी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाए जाएं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय संसाधनों में विशिष्ट उपलब्धि बन जाए न कि पहले से मौजूद सुविधाओं में केवल मात्रात्मक विस्तार हो। विश्वविद्यालय ने कुछ व्यापक शैक्षिक पाठ्यक्रमों की पहचान की है तथा उन पर विचार किया जा रहा है जो राष्ट्रीय प्रगति एवं विकास के महत्व के हैं।

विश्वविद्यालय की मूलभूत शैक्षिक इकाइयां न केवल विषयी विभाग हैं अपितु बहुविषयी अध्ययन संस्थान हैं। एक संस्थान की कल्पना ऐसे विषयों के विद्वानों के समुदाय के रूप में की गई है जो अपने विषय-क्षेत्र एवं मैथेडोलॉजी और समस्या क्षेत्र के मामले में एक-दूसरे से ऑर्गेनिकली जुड़े हुए हैं। प्रत्येक संस्थान का गठन कई केंद्रों से होगा। ऐसे केंद्रों का गठन किसी संस्थान के व्यापक दायरे के भीतर विभिन्न कार्यबलों (टास्कफोर्सिज) से होगा। किसी केंद्र को परिभाषित स्पष्ट रूप से चिह्नित शोध एवं शिक्षण के अंतर्विषयी पाठ्यक्रमों में शामिल उनके विषयों के अलावा विद्वान समुदाय के रूप में किया गया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय है। प्रश्नपत्र में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो सभी अध्ययन पाठ्यक्रमों (भाषाओं को छोड़कर) के लिए पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है।

तथापि, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी के अलावा माध्यम से पढ़ाई करने वाले तथा विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की मदद के लिए विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा के उपचारी पाठ्यक्रमों के लिए आंतरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि ऐसे छात्र अंग्रेजी में अपनी नींव मजबूत कर अपने शैक्षिक एवं शोध पाठ्यक्रमों को पर्याप्त रूप से मैनेज कर सकें।

विश्वविद्यालय में कुछ विशेष अध्ययन केंद्रों के अलावा निम्नलिखित अंतर्विषयी शोध एवं अध्ययन संस्थान हैः-

1. अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
2. भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान
3. सामाजिक विज्ञान संस्थान
4. कला एवं सौंदर्यशास्त्र संस्थान
5. जीवन विज्ञान संस्थान
6. पर्यावरण विज्ञान संस्थान
7. कंप्यूटर एवं सिस्टम्ज विज्ञान संस्थान
8. भौतिक विज्ञान संस्थान
9. संगणकीय एवं समेकित विज्ञान संस्थान
10. जैवप्रौद्योगिकी संस्थान
11. संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान
12. इंजीनियरी संस्थान
13. अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन तथा उद्यमिता संस्थान
14. ई-लर्निंग विशेष केंद्र
15. आणविक चिकित्साशास्त्र विशेष केंद्र
16. विधि एवं अभिशासन अध्ययन विशेष केंद्र
17. नैनो विज्ञान विशेष केंद्र
18. आपदा शोध विशेष केंद्र
19. उत्तर-पूर्व भारत अध्ययन विशेष केंद्र
20. राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विशेष केंद्र

विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से संबंधित मामलों में उपाय किए गए हैं कि देश के सभी भागों से छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकें ताकि यह सही मायने में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन सके।

विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित हैः-

1. उच्च गुणवत्ता की शैक्षिक दक्षता एवं संभावनाओं के साथ छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करना ताकि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सार्थक ढंग से राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा सके;
2. समाज के वंचित एवं सामाजिक रूप से निःशक्त अनुभागों के पर्याप्त छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना; तथा
3. विश्वविद्यालय में देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से छात्रों, विशेषकर पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखना।

विश्वविद्यालय के अधिनियम की प्रथम अनुसूची में यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के ध्यानार्थ यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि भारत के बाहर, विशेषकर विकासशील देशों से छात्र पर्याप्त संख्या में विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकें।

सीटों की संख्या सीमित होने के कारण प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा। योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।

यदि कोई उम्मीदवार इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्याल/संस्था में किसी पूर्णकालिक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए पहले ही पंजीकृत है तो वह इस विश्वविद्यालय में किसी पूर्णकालिक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण नहीं कर सकेगा।

1. प्रवेश सूचनाः

भावी उम्मीदवारों की सूचना के लिए विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश की सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा समुचित प्रिंट मीडिया में किया जाता है।

उम्मीदवारों पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विचार किया जाएगाः-

एमफिल, पीएचडी, जेआरएफ के माध्यम से एमफिल, जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी, एमटेक, एमपीएच, पीजीडीई, एमए, एमएससी, एमसीए, एमबीए, बीटेक+एमटेक/एमएस, बीए (ऑनर्स) प्रथम वर्ष (विदेशी भाषाएं) तथा अंशकालिक पाठ्यक्रम

2. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)

विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय की प्रवेश सलाहकार समिति द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथियों को पूरे भारत में विभिन्न केंद्रों पर किया जाता है। प्रवेश परीक्षा चार दिन तक चलती हैं। इससे विश्वविद्यालय की दूर-दूर तक पहुंच बढ़ती है ताकि जेएनयू में प्रवेश लेने वाले बहुसंख्यक उम्मीदवारों को अवसर मिलता है। विश्वविद्यालय के पास कोई कारण बताए बिना किसी भी परीक्षा केंद्र को बदलने/रद्द करने का अधिकार है। परीक्षा केंद्रों की सूची में किसी प्रकार के बदलाव होने पर चर्चा विश्वविद्यालय की प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक में की जाती है। इसके बाद इसे अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास रखा जाता है।

3. मौखिक परीक्षाः

एमफिल तथा पीएचडी को छोड़कर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई मौखिक परीक्षा नहीं होती है। उम्मीदवारों को प्रवेश कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में उनके कार्य निष्पादन तथा विश्वविद्यालय की अनुमोदित प्रवेश नीति एवं कार्यविधि के अनुसार उनके स्कोर में जोड़े गए डेप्रिवेशन प्वाइंट्स के आधार पर दिया जाता है।

एमफिल तथा पीएचडी में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है तथा इस परीक्षा में अर्हक उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सामान्य श्रेणी तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अर्हता 50 प्रतिशत अंकों की है जबकि अ.जा, अ.ज.जा., अ.पि.व., दिव्यांग श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अर्हता 45 प्रतिशत अंक है।

प्रवीणता डिप्लोमा (भाषा इंडोनेशिया), प्रवीणता डिप्लोमा (मंगोलियन) तथा प्रवीणता डिप्लोमा (हिब्रू) में प्रवेश हेतु मेरिट को अंतिम रूप संबंधित भाषाओं में प्रवीणता प्रमाणपत्र (सीओपी) में कार्य निष्पादन के आधार पर दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी अर्थात् अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग योग्यता सूचियां (मेरिट लिस्ट) विश्वविद्यालय की अनुमोदित प्रवेश नीति एवं कार्यविधि के अनुसार तैयार की जाती हैं।

3.2 (1) कंप्यूटर आधारित परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा को अधिभार (वेटेज) निम्नानुसार दिया जाता हैः-

पाठ्यक्रम	कंप्यूटर आधारित परीक्षा	मौखिक परीक्षा
अंशकालिक प्रवीणता प्रमाणपत्र तथा जनसंचार उच्च डिप्लोमा (उर्दू)	100 प्रतिशत	लागू नहीं
बीए (ऑनर्स) प्रथम वर्ष		
एमए/एमएससी/एमसीए		
एमटेक, एमपीएच, पीजीडीई		
पीएचडी, एमफिल	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत
नेट-जेआरएफ के माध्यम से एमफिल तथा पीएचडी	लागू नहीं	100 प्रतिशत
अंशकालिक प्रवीणता डिप्लोमा (भाषा इंडोनेशिया तथा मंगोलियन)	मेरिट के आधार पर	

3.2 (2) एमबीए, बीटेक+एमटेक/एमएस (दोहरी उपाधि) परीक्षा के लिए अधिभार (वेटेज) निम्नानुसार दिया जाता है:-

पाठ्यक्रम	कंप्यूटर आधारित परीक्षा	मौखिक परीक्षा
एमबीए	70 प्रतिशत (कैट स्कोर)	30 प्रतिशत
बीटेक+एमटेक/एमएस (दोहरी उपाधि)	जेओएसएए के माध्यम से	

3.3: **(एमफिल तथा पीएचडी) मौखिक परीक्षा में बुलाने की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त करने होंगे:-**

पाठ्यक्रम	सामान्य वर्ग	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग वर्ग
पीएचडी, एमफिल*	50 प्रतिशत	45 प्रतिशत

*प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में 50 प्रतिशत शोध-प्रविधि (रिसर्च मैथडोलॉजी) तथा 50 प्रतिशत संबंधित विषय-विशेष होगा।

3.4 **एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मौखिक परीक्षा हेतु बुलाने के लिए अधिकतम उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार होगी:-**

परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार होगी:-

सीट संख्या	मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाने वाले छात्रों की संख्या
1-5	5 गुना
6-10	4 गुना
11 एवं इससे ऊपर	3 गुना

तथापि, आरक्षित वर्गों से पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके लिए कार्यविधि अलग से अमल में लाई जाएगी।

4. डेप्रिवेशन प्वाइंट्स:

निम्नलिखित वर्गों के उम्मीदवारों को डेप्रिवेशन प्वाइंट्स (अधिकतम 12 प्वाइंट तक) दिए जाते हैं:-

4.1 **उम्मीदवार को प्रत्येक शैक्षणिक लेवल अर्थात् नीचे दिए गए क्वर्टाइल-1 अथवा क्वर्टाइल-2 जिले से 10वीं/हाइ स्कूल/मेट्रिक/12वीं/इंटरमीडिएट तथा बीए/बीएससी के लिए अलग-अलग प्वाइंट मिलेंगे:**

क्वर्टाइल-1 अंक

आवेदित अध्ययन पाठ्यक्रम	*10वीं/12वीं	स्नातक पूर्व
स्नातक पूर्व	6	
स्नातकोत्तर	3	3

क्वर्टाइल-2 अंक

आवेदित अध्ययन पाठ्यक्रम	*10वीं/12वीं	स्नातक पूर्व
स्नातक पूर्व	4	
स्नातकोत्तर	2	2

*** 10वीं तथा 12वीं कक्षा क्वर्टाइल के लिए नोट**

यदि क्वर्टाइल-1 से 10वीं तथा क्वर्टाइल-1 से 12वीं तो क्वर्टाइल-1 का लाभ
यदि क्वर्टाइल-1 से 10वीं तथा क्वर्टाइल-2 से 12वीं तो क्वर्टाइल-1 का लाभ
यदि क्वर्टाइल-2 से 10वीं तथा क्वर्टाइल-1 से 12वीं तो क्वर्टाइल-1 का लाभ
यदि क्वर्टाइल-2 से 10वीं तथा क्वर्टाइल-2 से 12वीं तो क्वर्टाइल-2 का लाभ

भावी उम्मीदवारों की सूचना के लिए क्वर्टाइल-1 तथा क्वर्टाइल-2 के रूप में प्रत्येक राज्य से क्वर्टाइल जिलों की सूची भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 4 पैरामीटरों का पालन कर तैयार की गई हैः-

1. महिला साक्षरता प्रतिशत;
2. कृषि कामगार प्रतिशत;
3. ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत; तथा
4. जिन घरों में शौचालय नहीं है, उनकी प्रतिशतता

क्वर्टाइल-1 तथा 2 जिलों (ऐसे जिले जिनमें उम्मीदवार रहते हैं) से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी-अपनी अर्हक परीक्षा पास की हो तथा/अथवा परीक्षा में बैठ रहे हों, यथास्थिति, डेप्रिवेशन प्वाइंट मिलने के लिए पात्र भी हैं। उन्हें आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में राज्य, जिला तथा जिलाकूट का उल्लेख करना होगा।उन्हें आवेदन के संबंधित कॉलम में यह भी उल्लेख करना होगा कि उन्होंने दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से अर्हक परीक्षा पास की है तथा/अथवा परीक्षा में बैठ रहे हैं।

4.2 सभी कश्मीरी प्रवासी अधिसूचित प्राधिकारी की ओर से पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 05 (पांच) डेप्रिवेशन प्वाइंट मिलने के लिए पात्र हैं। इन दस्तावेजों में उनके कश्मीरी प्रवासी होने की स्थिति का उल्लेख किया हो।

4.3 सभी महिला/उभयलिंगी उम्मीदवार नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार डेप्रिवेशन प्वाइंट्स के लिए पात्र हैः-

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग/क्वर्टाइल-1/क्वर्टाइल-2	7 डेप्रिवेशन प्वाइंट्स
अन्य उम्मीदवार (अनारक्षित न तो क्वर्टाइल-1 और न ही क्वर्टाइल-2 के अंतर्गत आते हैं	5 डेप्रिवेशन प्वाइंट्स

डेप्रिवेशन प्वाइंट्स का यह लाभ बीटेक, एमबीए, एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों के अलावा केवल स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर/प्रवीणता प्रमाणपत्र/उच्च प्रवीणता डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों को दिया जाएगा।

5. अधिसंख्य सीट

क) **रक्षा कार्मिकों की विधवा/बच्चे**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (यूजीसी) के दिनांक 07-06-2013 के पत्र के अनुसार दिनांक 27-05-2016 को आयोजित विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की 140वीं बैठक में 5 प्रतिशत आरक्षण (अधिसंख्य सीट) को लागू करने के संबंध में उपर्युक्त पत्र की विषय-वस्तु पर विचार किया गया है तथा तथा यह निर्णय किया गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु युद्ध अथवा शांतिकाल के दौरान सशस्त्र सेनाओं के दिवंगत/दिव्यांग हुए कार्मिकों की विधवाओं/बच्चों के लिए अधिसंख्य सीटों का आरक्षण दिया जाए।

1. युद्ध में दिवंगत हुए रक्षा कार्मिकों की विधवा/बच्चे;
2. युद्ध में दिव्यांग हुए सेवारत कार्मिकों तथा पूर्व सैनिकों के बच्चे;
3. शांतिकाल के दौरान मृतक रक्षा कार्मिकों जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के लिए हुई हो, की विधवा/बच्चे; तथा
4. शांतिकाल के दौरान दिव्यांग हुए रक्षा कार्मिकों जिनकी अपंगता सैन्य सेवा के लिए हुई हो, के बच्चे;

(रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/बच्चों के लिए अधिसंख्य सीटें केवल स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर/अंशकालिक पाठ्यक्रमों (बीटेक, एमबीए, एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों के अलावा) के लिए चिह्नित की जाएं ताकि यूजीसी विनियमावली 2016 में किसी प्रकार के विचलन से बचा जा सके।)

ख) **जम्मू एवं कश्मीर के उम्मीदवार**

विश्वविद्यालय ने जम्मू एवं कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए सुपर न्यूमररी कोटा के तहत दो सीटों के सृजन का निर्णय लिया है। इन 2 सीटों में से 1 सीट बीए पाठ्यक्रम तथा 1 अन्य सीट एमए पाठ्यक्रम के लिए होगी। इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन अन्यथा मेरिट तथा योग्य उम्मीदवारों में से गैर-शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों में अधिकतम अंक प्राप्त करने के आधार पर होगा।

ग) **जेएनयू कर्मचारियों (समूह 'ग' एवं 'घ') के बच्चे**

पाठ्यक्रम	**सीटों की संख्या**
बीए (ऑनर्स) पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष	03
एमए/एमएससी/एमसीए पाठ्यक्रम	02

6. उम्मीदवारों का चयन:

6.1 प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग वर्गों के उम्मीदवारों के लिए और विदेशी छात्रों के लिए भी अलग-अलग योग्यता सूचियां (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाएंगी।एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर यूजीसी विनियमावली 2017 के अनुपालन में विचार किया जा सकता है जिसमें शोधार्थी संकाय सदस्यों (अर्थात् प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर) सुपरवाइज कर सकते हैं। यदि जेएनयू प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले भारतीय उम्मीदवारों को किसी भी विषय-क्षेत्र में दी गई सीटें उनके द्वारा छोड़ने पर रिक्त होती हैं तो ऐसी सीटें विदेशी छात्रों को दी जाएंगी।

6.2 विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा (जहां कहीं निर्धारित हो) में उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर तथा डेप्रिवेशन प्वाइंट्स, जहां लागू हो, को शामिल करने के बाद उनकी अपनी-अपनी श्रेणी में उम्मीदवारों की परस्पर मेरिट के आधार पर किया जाता है। जिस अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए मौखिक परीक्षा निर्धारित है उसमें दाखिला के लिए मौखिक परीक्षा में नहीं बैठने वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा।एक ही स्तर के पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम तीन विषयों तक अपनी पसंद के विकल्प देने का प्रावधान आवेदन फॉर्म में किया गया है। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन फॉर्म भरते समय दिए गए अपनी पसंदवार विकल्पों को ध्यान में रखा जाता है अर्थात् (यदि किसी उम्मीदवार का चयन प्रथम पसंद श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विषय के लिए हो जाता है तो वह दूसरी अथवा तीसरी पसंद की श्रेणी, यथा-स्थिति के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम के समान स्तर के अन्य विषयों के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा/सकेगी। दूसरे शब्दों में, यदि किसी का उच्च विकल्प के तहत चयन हो जाता है तो केवल उसे उसी में प्रवेश दिया जाएगा। अंको के एकसमान हो जोने की स्थिति में, सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की संख्या के बारे में निर्णय संबंधित केंद्रों/संस्थानों पर छोड़ दिया जाएगा, ताकि अंकों के बंचिग के कारण ऐसे प्रस्ताव अधिक न हों।

एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए समस्त कुल (कंप्यूटर आधारित परीक्षा+ मौखिक परीक्षा) अंको के एकसमान होने के मामले में जेएनयू द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अधिक अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद (टाई होने की स्थिति में) यदि आवश्यक हुआ तो अर्हक अधिक स्नात्कोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। पुनः टाई होने की स्थिति में उम्मीदवार(रों) द्वारा स्नातक उपाधि में प्राप्त अधिकतम अंकों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद, पुनः टाई होने की स्थिति में, उम्मीदवार(रों) द्वारा 10+2 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। (विद्या परिषद की 149वीं बैठक का संकल्प)

6.3 चयनित उम्मीदवारों को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने तथा अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद प्रवेश शाखा द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर आनलाइन मोड के माध्यम से अपनी सीट ब्लॉक करना होगा। उसके बाद, योग्यता सूची के अनुसार शेष सीटों को ब्लॉक करने के लिए अगली योग्यता सूची में उम्मीदवारों को प्रत्येक पाठ्यक्रम में बकाया रिक्त सीटें आफर कर दी जाएंगी। इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त अथवा इससे पहले दाखिला ले लिया जाए, शेष समय और रिक्तियों की संख्या/उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों के आधार सभी बैच में इस तरह के प्रस्ताव केवल दो बार दिए जाएंगे।

जब तक किसी उम्मीदवार को निम्नानुसार न्यूनतम समग्र अंक प्राप्त नहीं होंगे तो वह प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः-

अध्ययन पाठ्यक्रम	**न्यूनतम अंक**		
	सामान्य व आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**अ.जा./अ.ज.जा. व दिव्यांग वर्ग**
एमटेक, एमपीएच, पीजीडीई, एम.ए/एमएससी/एमसीए, बीए(ऑनर्स), प्रथम वर्ष, अंश-कालिक (सीओपी व एडीओपी)	30%*	27%*	25%*

6.4 जब तक किसी उम्मीदवार को नीचे दी गई तालिका के अनुसार कुल समग्र अंकों (कंप्यूटर आधारित परीक्षा+मौखिक परीक्षा) में से न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होंगे तो वह प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः-

पाठ्यक्रम	**न्यूनतम अंक**		
	अनारक्षित	अ.पि.व. वर्ग	अ.जा./अ.ज.जा. एवं दिव्यांग वर्ग
एमफिल तथा पीएचडी	40%	36%	30%

जो उम्मीदवार मौखिक परीक्षा (जहाँ लिए निर्धारित हो) में उपस्थित नहीं होंगे वे उस अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

6.5 **प्रवेश का आस्थगन**

सभी चयनित उम्मीदवारों को 14 अगस्त तक सभी मूल दस्तावेजों अर्थात् अर्हक परीक्षा की मूल अंकतालिका, उम्मीदवार के नौकरी में होने की स्थिति में छुट्टी मंजूरी तथा कार्यभारमुक्ति आदेश के साथ प्रवेश/पंजीकरण के लिए रिपोर्ट करना होगा। परन्तु शर्त यह है कि ऐसे चयनित उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी सीटें बुक कर ली हैं, वे निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर अगले सत्र अथवा अगले शैक्षिक वर्ष, यथास्थिति तक प्रवेश के आस्थगन के लिए निर्धारित फॉर्म में संयुक्त/उप/सहायक कुलसचिव (प्रवेश) से लिखित में अनुरोध कर सकते हैं।

(क) यह कि पिछले बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा 14 अगस्त से पहले उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया है। परन्तु शर्त यह है कि उम्मीदवार 22 जुलाई से पहले अर्हक परीक्षा में उपस्थित हुआ/हुई हो।

नोटः उम्मीदवार प्रायोगिक परीक्षा और मौखिक परीक्षा (जहाँ निर्धारित हो) सहित सभी पेपरों में 22 जुलाई से पहले बैठा हो/बैठी हो।

(ख) यह कि वह रोजगार-प्राप्त है तथा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान अपने नियोक्ता से 14 अगस्त से पहले छुट्टी मंजूरी और कार्य भारमुक्ति आदेश प्राप्त नहीं कर सकता/सकती है।

प्रवेश के आस्थगन संबंधी आवेदन, जैसी कि ऊपर कहा गया है, सभी समर्थकारी दस्तावेजों सहित 14 अगस्त या उससे पहले करना होगा।

किसी भी परिस्थिति में 14 अगस्त के बाद प्रवेश के लिए छूट अथवा प्रवेश के लिए समयसीमा की बढ़ौतरी अथवा आस्थगन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि 14 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी होती है तो अगले कार्य दिवस को प्रवेश लेने की अनुमति दी जाएगी है।

विश्वविद्यालय को प्रवेश के आस्थगन संबंधी किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।

7. आरक्षणः

7.1 **सीटों का आरक्षणः** अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 27%, अ.जा. के छात्रों के लिए 15% , अ.ज.जा. के छात्रों के लिए 7.5% तथा 5% विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) आरक्षण की प्रावधान है। भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार (कम से कम 40% निशक्तता तक) आरक्षण का प्रावधान है।

(क) **आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षणः** जो व्यक्ति अ.जा./अ.ज.जा तथा अ.पि.व. के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं ऐसे आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के छात्रों को एमफिल व पीएचडी अध्ययन पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न अध्ययन पाठ्क्रमों में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण दिया जाएगा।

(ख) जहाँ कहीं ग्रुपिंग सीटों की संख्या 10 से कम हो, उन पर दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण लागू/चालू होगा तथा दिव्यांग श्रेणी के लिए एक सीट सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सीटों को क्लब करते हुए रोटेट किया जाएगा। इन 10 सीटों के लिए जहाँ कहीं योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होगा तो उसे उसकी अपनी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि अभी भी सीटों की संख्या 5% से कम हो तो इन सीटों को दिव्यांग श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों जहां कहीं उपलब्ध हो, में से भरने

का निर्णय कुलपति के पास होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निःशक्तता अधिनियम, 2016 के अनुपालन में दिव्यागं श्रेणी से अधिकतम सीटों को भरा जा सके।

7.2 **एमटेक, एमपीएच, पीजीडीई एम.ए./एमएससी/एमसीए, बी.ए.(ऑनर्स) प्रथम वर्ष और अंशकालिक पाठ्यक्रमों (बीटेक और एमबीए को छोड़कर, ई-प्रास्पेक्टस के संबंधित के संबंधित खंड में उक्त पाठ्यक्रमों के लिए अलग से मानदण्ड दिए गए हैं)** में प्रवेश हेतु छूटः- अ.जा./अ.ज.जा. और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार अपनी अर्हक परीक्षा प्रतिशता पर विचार किए बिना पास करने पर प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग की तुलना में अर्हक परीक्षा में अंक प्रतिशतता में 10% छूट के पात्र हैं।

7.3 **एमफिल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा समय-समय पर जारी निर्णय के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर-सम्पन्न वर्ग) दिव्यांग और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों अथवा जिन्होंने 19 सितम्बर 1991 के पहले अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर ली है को अर्हक डिग्री में 55 % से 50% 5 % अंकों की छूट अथवा समतुल्य ग्रेड के बराबर छूट दी जा सकती है। 55 % योग्यता अंक (अथवा जहाँ इसके समतुल्य ग्रेड जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू हो) तथा ऊपर उल्लेख किए गए वर्गों को 5% की छूट ग्रेस अंक प्रक्रिया को शामिल किए बिना केवल अर्हता अंको के आधार पर ही स्वीकार्य है।

7.4 **पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आरक्षण**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा समय-समय पर जारी निर्णय के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. (गैर-सम्पन्न वर्ग) दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अर्हक डिग्री में 55% से 50% तक 5% की छूट अथवा समतुल्य ग्रेड के बराबर छूट दी जा सकती है।

7.5 सभी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को इसके लिए भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी की ओर से अपने दावा के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.6 दिव्यांग उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूडी) को निःशक्तता अधिनियम 2016 के अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल द्वारा जारी निःशक्तता की सीमा दर्शाने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को इसका लाभ देने से पहले विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा बोर्ड द्वारा निःशक्तता की प्रतिशतता विधिवत सत्यापित/अनुशंसित की जाती है।

7.7 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य वर्ग में अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, उन्हें आरक्षित वर्ग के तहत नहीं गिना जाएगा।

7.8 विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के अध्ययन के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम (एमफिल और पीएचडी के अलावा) में 15% सीटों का प्रावधान है। ये सीटें प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित सीटों के अलावा हैं।

नोटः एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए सीटों की संख्या पर संकाय सदस्यों (अर्थात प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर) के अधीन पर्यवेक्षण किये जा सकने वाले शोधार्थियों की संख्या से सम्बंधित यूजीसी विनियम 2016 के अनुसार विचार किया जा सकता है। जेएनयू प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने वाले भारतीय उम्मीदवारों को ऑफर की गई सीटों के किसी भी विषय में सीटें खाली रहने पर ही विदेशी छात्रों को सीटों का प्रस्ताव किया जाएगा।

8. रोजगार-प्राप्त उम्मीदवारों के लिए प्रवेशः

रोजगार-प्राप्त सेवारत कर्मचारियों का चयन होने की स्थिति में उन्हें विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम (एमफिल/पीएचडी सहित) में प्रवेश से पहले छुट्टी मंजूरी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

9. एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम में जेआरएफ धारकों का प्रवेश

जो उम्मीदवार ने संबंधित संस्थानों/केन्द्रों में उल्लिखित एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हैं तथा जिन उम्मीदवारों ने सीएसआईआर/यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता टेस्ट (एनईटी) परीक्षा द्वारा कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) पास कर ली है, ऐसे उम्मीदवार, जिस संस्थान केन्द्र/विशेष केन्द्र में जेआरएफ वर्ग के लिए अलग से सीट उपलब्ध हैं, उसमें इस वर्ग के अंतर्गत निर्धारित फार्म में अलग से आवेदन करने के पात्र हैं। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा तथा उनका चयन साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर होगा। वे उम्मीदवार जो सीएसआईआर/यूजीसी नेट परीक्षा में बैठें हैं, लेकिन उनका परिणाम नहीं आया है तो ऐसे उम्मीदवार इस वर्ग के तहत आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि, ऐसे उम्मीदवारों को (जेआरएफ) पास होने का वैध प्रमाण अथवा जेआरएफ प्रमाणपत्र मिलनें का प्रमाण प्रस्तुत करने पर साक्षात्कार में बैठने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, केवल वैध जेआरएफ योग्यता धारक उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए ग्राह्य यात्रा भत्ता की मंजूरी दी जाएगी। कृपया नोट करें कि वे उम्मीदवार जिन्हें सीएसआईआर/यूजीसी में 'लेक्चरशिप' प्राप्त हुआ है, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं तथा उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

नेट-जेआरएफ अथवा समकक्ष अर्हताप्राप्त छात्रों को सीधे मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा तथा एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में उनका प्रवेस मौखिक परीक्षा में 100% वेटेज के आधार पर ही होगा।

10. विदेशी भाषाओं में बी.ए. (ऑनर्स) प्रथम वर्ष में प्रवेश

भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान एसएलएल एंड सीएस में 3 वर्षीय बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 80 %सीटें बी.ए. (ऑनर्स) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए हैं। इसके लिए उम्मीदवार ने प्रवेश वर्ष अथवा पिछले वर्ष में उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा पास की हो अथवा न्यूनतम अपेक्षित शर्तें पूरी करते हों। **ये 80% सीटें कोड-1 कटेगरी के तहत आती हैं।** 3 वर्षीय बी.ए. (ऑनर्स) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए शेष 20% सीटें उन उम्मीदवारों के लिए खुली हैं जो अन्यथा पात्रता योग्यताएं पूरी करते हैं। **ऐसी सीटें कोड-II कटेगरी के तहत आती हैं**। प्रवेश के वर्ष में 01 अक्टूबर को बी.ए. (ऑनर्स) में प्रवेश के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु 17 वर्ष है। इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

11. अंशकालिक पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय निम्नलिखित एक-वर्षीय अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित करता हैः-

क) मास मीडिया उच्च प्रवीणता डिप्लोमा (उर्दू)
ख) प्रवीणता डिप्लोमा (भाषा इण्डोनेशिया, मंगोलियन ऐंड हिब्रू)
ग) प्रवीणता प्रमाणपत्र (मंगोलियन, पश्तो, भाषा इण्डोनेशिया, उर्दू, पाली, संस्कृत, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम, संस्कृत, योगा फिलास्फी, इण्डियन कल्चर तथा हिब्रू

निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता हैः-

(क) मास मीडिया उच्च डिप्लोमा (एडीओपी) (उर्दू) तथा प्रवीणता प्रमाणपत्र (मंगोलियन, पश्तो, भाषा इण्डोनेशिया, उर्दू, हिब्रू, पाली, संस्कृत, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम, संस्कृत, योगा फिलास्फी और इण्डिया कल्चर) में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवार के कार्य-निष्पादन के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(ख) भाषा इंडोनेशिया, हिब्रू और मंगोलियन में प्रवीणता डिप्लोमा (डीओपी) में प्रवेश संबंधित भाषाओं में प्रवीणता प्रमाणपत्र (सीओपी) में कार्य-निष्पादन के अनुसार योग्यता के आधार पर होगा।

12. विदेशी छात्र:-

प्रति वर्ष विदेशी छात्रों को निम्नलिखित श्रेणियों के तहत विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है:

(क) स्व-वित्तपोषित छात्र
i) कंप्यूटर आधारित परीक्षा अथवा मौखिक परीक्षा के माध्यम से
ii) 'गैर-उपस्थिति' के माध्यम से

(ख) भारत सरकार के सांस्कृतिक विनिमय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के तहत।
(ग) ऑडिट/क्रेडिट पाठ्यक्रमों (जिनमें कोई डिग्री नहीं दी जाती है) में आकस्मिक छात्रों के रूप में।

उपर्युक्त (क) और (ख) के तहत किसी भी श्रेणी में प्रवेश पाने वाले विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

(ख) स्व-वित्तपोषित छात्र

I. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) और / या मौखिक परीक्षा के माध्यम से: (उन विदेशी छात्रों के लिए जो भारत में हैं):-

भारत में मौजूद सभी विदेशी छात्रों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा परीक्षा और/या मौखिक परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक होगा और उन्हें भारतीय छात्रों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा करना होगा तथा उन्हें समकक्ष योग्यता तथा स्टूडेंट वीज़ा / रिसर्च वीज़ा, यथास्थिति प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को कंप्यूटर आधारित परीक्षा/मौखिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(II) 'गैर-मौजूदगी' श्रेणी के माध्यम से:

जो विदेशी छात्र अपने-अपने देशों से आवेदन कर रहे हैं, उन्हें 'गैर-मौजूदगी श्रेणी के तहत माना जाएगा और उनके लिए एक अलग आवेदन पत्र है, जिसे जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे छात्रों को अपना आवेदन पत्र (प्रमाणपत्र आदि की प्रतियों, जिनके आधार पर उन्हें प्रवेश चाहिए तथा प्रक्रिया शुल्क हेतु डिमांड ड्राफ्ट सहित) डाक के माध्यम से **अनुभाग अधिकारी (प्रवेश-II), कमरा नं. 20, प्रशासनिक ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली -110067**

डाउनलोड करके भरे हुए गए आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र की प्रक्रिया शुल्क के रूप में **जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय** के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय 42 यूएस $ का एक बैंक ड्राफ्ट (जिसमें जीएसटी भी शामिल है) या समतुल्य भारतीय राशि (जो आवेदन पत्र पर अंकित है), संलग्न करना होगा|

नोट: प्रवेश परीक्षा और / या मौखिक परीक्षा के दौरान भारत में पहले से मौजूद उम्मीदवारों को 'गैर-मौजूदगी' भारत सरकार के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और उन्हें विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा और / या मौखिक परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा|

(ख) भारत सरकार के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत:

भारत सरकार के सांस्कृतिक विनिमय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, (ICCR), आज़ाद भवन, आई.पी. स्टेट, नई दिल्ली-] 10001, भारत से संपर्क करना होगा। उनका प्रवेश होने की स्थिति में, परिषद को उनके चयन के बारे में सूचित किया जाएगा।

(ग) ऑडिट / क्रेडिट पाठ्यक्रमों में अनियत छात्र:

विदेशी छात्र विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन केंद्र/संस्थान के ऑडिट / क्रेडिट पाठ्यक्रम (ओं) में एक या दो सत्र के लिए में प्रवेश ले सकते हैं। यदि ऑडिटिंग के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो पाठ्यक्रम के प्रभारी शिक्षक द्वारा भागीदारी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और यदि प्रवेश क्रेडिट के लिए दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा सत्रांत ग्रेड शीट जारी की जाएगी। परन्तु शर्त यह होगी कि वे सत्र कक्षाओं में भाग लेंगे और परीक्षा में बैठेंगे।

चयन/प्रवेश

उनका प्रवेश होने की स्थिति में, उम्मीदवारों को उनके चयन के बारे में सूचित किया जाएगा और उनका प्रवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: -

1. विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित योग्यताओं के अनुसार उनकी योग्यता का समकक्ष होना।
2. भारत सरकार की संशोधित वीज़ा नीति के अनुसार स्टूडेंट-वीज़ा / रिसर्च वीज़ा (यथास्थिति) तथा मूल दस्तावेजों के साथ उनके पासपोर्ट की एक प्रतिलिपि भी सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना।
3. चिकित्सा एवं स्वस्थता प्रमाणपत्र
4. 1.00 लाख (न्यूनतम) रुपये का बीमा

शिक्षण शुल्क

कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या 'गैर-मौजूदगी' के माध्यम से विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त विदेशी छात्रों और अनियत छात्रों को अमेरिकी डॉलर या भारतीय मुद्रा में मसौदा विनिमय दरों के अनुसार निम्नलिखित दरों के अनुसार फीस और प्रासंगिक प्रभारों का भुगतान करना होगा:

1.	विज्ञान विषयों में पाठ्यक्रमों हेतु प्रति सत्र शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क तथा प्रासंगिक प्रभार।	1500 यूएस $ 200 यूएस $
2.	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों हेतु प्रति सत्र शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क तथा प्रासंगिक प्रभार।	1000 यूएस $ 200 यूएस $

नोट:

(i) स्व-वित्तपोषित छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विदेशी छात्रों को अपने आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता इत्यादि का विवरण देना होगा और अपने संबंधित बैंकरों से इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि पाठ्यक्रम की अवधि तक भारत में अध्ययन करने के लिए उनके पास अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(ii) ऐसे भारतीय छात्रों, जिनके अर्हक (पात्रता) परीक्षा प्रमाणपत्र विदेश से हैं, उन देशों को छोड़कर जहां जेएनयू प्रवेश परीक्षा केंद्र उपलब्ध हैं, को 'गैर-मौजूदगी' श्रेणी के तहत माना जाता है क्योंकि वे प्रवेश परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। उनके लिए ट्यूशन फीस अंतरराष्ट्रीय छात्रों (वर्तमान में, विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए 1500 यूएस $ प्रति सेमेस्टर और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए 1000 यूएस $ प्रति सेमेस्टर, तथा प्रासंगिक शुल्क के रूप में प्रति सेमेस्टर 200 यूएस$ के बराबर होगी।

(iii) ऐसे भारतीय छात्रों जो सरकारी ड्यूटी पर विदेश में तैनात भारतीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं, को 'गैर-मौजूदगी' श्रेणी में माना जाता है। उन्हें सम्बंधित उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें भारतीय छात्रों के लिए लागू शुल्क संरचना के साथ प्रवेश दिया जाएगा, और उक्त विदेश में तैनाती के कार्यकाल तक 200 यूएस $ प्रति सेमेस्टर का अतिरिक्त प्रासंगिक प्रभारों का भुगतान होगा।

(iv) जेएनयू में प्रवेश प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों को अनिवार्य चिकित्सा बीमा करवाना होगा।

विदेशी छात्रों से सेमेस्टर शुल्क या तो विदेशी मुद्रा में यथा- अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष भारतीय रुपये में स्वीकार किया जाता है। विदेशी छात्रों से शुल्क स्वीकार करने की विनिमय दर को प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीकरण के पहले दिन प्रचलित खरीद दर के रूप में स्वीकार किया गया है। विश्वविद्यालय की वित्त शाखा प्रत्येक सेमेस्टर के लिए लागू भारतीय रुपये में यूएस $ के रूपांतरण की दर को अधिसूचित करती है। धन-वापसी यदि कोई हो, भारतीय मुद्रा में होगा। तथापि, इस मामले में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रशासनिक कार्य:-

प्रवेश से संबंधित प्रशासनिक कार्य निदेशक (प्रवेश) के कार्यालय में किया जाता है।

2. प्रवेश परीक्षा

2.1 जेएनयू वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अवधि तक विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

जो उम्मीदवार किसी विशेष भाषा / विषय में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लेता/लेती है, वह फिर से उसी स्तर के पाठ्यक्रम (भाषा / विषय) में प्रवेश के लिए हकदार नहीं हो सकता है। ऐसे उम्मीदवार को अन्य भाषा / विषय में प्रवेश लेने का एक और मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा, जो उम्मीदवार पहले दो अवसरों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफल रहता/रहती है, उसे किसी भी परिस्थिति में उसी भाषा / विषय में तीसरी बार प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह नियम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी अध्ययन पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। (विद्या परिषद की दिनांक 21.10.2011 की 130वीं बैठक के संकल्प संख्या 9 द्वारा प्राधिकृत)

2.2 उम्मीदवार एक आवेदन पत्र में एक ही पाठ्यक्रम अर्थात् सीओपी या बीए (ऑनर्स) या एमए/एमएससी/एमसीए या एमटेक/एमपीएच/पीजीडीई या एमफिल या पीएचडी के लिए अधिकतम तीन अध्ययन क्षेत्रों/भाषाओं का चयन कर सकते

हैं। इसके लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार किसी एक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

2.3 प्रवेश परीक्षा आमतौर पर अनुमोदित केंद्रों पर आयोजित की जाती है।

2.4 दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा प्रलिपिक उपलब्ध कराया जाएगा।

2.5 उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कंप्यूटर से जनरेट किए गए प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) और आबंटित पंजीकरण नंबर जारी किए जा रहे हैं।

3. प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता सम्बन्धी आवश्यकताएं:

विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए सभी उम्मीदवारों की पात्रता सम्बन्धी आवश्यकताएं जेएनयू प्रॉस्पेक्टस में दी गई हैं।

4. सीटों की संख्या:

4.1 प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या का अनुमोदन संबंधित केंद्रों/स्कूलों की सिफारिशों पर विद्या परिषद द्वारा किया जाता है।

4.2 'गैर-मौजूदगी' श्रेणी के तहत और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों के लिए सीटों की संख्या भी प्रत्येक अध्ययन केंद्र / संस्थान (एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों को छोड़कर) में उक्त सीटों की संख्या की क्षमता से अधिक है। ऐसी अधिसंख्य सीटें आम तौर पर सीटों की संख्या क्षमता की 15% होती हैं।

4.3 एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए सीटों की संख्या पर संकाय सदस्यों (अर्थात प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर) के अधीन पर्यवेक्षण किये जा सकने वाले शोधार्थियों की संख्या से सम्बंधित यूजीसी विनियम 2016 के अनुसार विचार किया जा सकता है। जेएनयू प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने वाले भारतीय उम्मीदवारों को ऑफर की गई सीटों के किसी भी विषय में सीटें खाली रहने पर ही विदेशी छात्रों को सीटों का प्रस्ताव किया जाएगा।

5. अर्हक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड:

5.1 जो उम्मीदवार किसी विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए निर्धारित संबंधित अर्हक परीक्षा में बैठने वाले हैं, वे प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। तथापि, उनके चयन की स्थिति में उन्हें अर्हक परीक्षा में निर्धारित अंक प्रतिशतता को हासिल करने और अर्हक परीक्षा की अंतिम अंकतालिका सहित सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है।

6. पंजीकरण

प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों का पंजीकरण, विश्वविद्यालय की प्रवेश सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदन अनुसार किया जाता है।

****